

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-11.7.17

संख्या-14/पद-213/2011, सा0प्र0 ~~8420~~...../बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित पद एवं स्थान
1	2	3	4
1	श्रीमती मधुरानी ठाकुर कोटि क्रमांक-433/11, दरभंगा	सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।	अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2	श्री अरूण कुमार झा, कोटि क्रमांक- 469/11, पूर्वी चंपारण	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य अयोग, बिहार, पटना।
3	श्री अलामा मुख्तार, कोटि क्रमांक- 987/11, रोहतास	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।

2. उपर्युक्त क्रमांक - 3 पर अंकित पदाधिकारी को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा- 20 के अंतर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, (एक्ट 2, 1974) की धारा - 144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक -14/पद - 213/2011, सा0प्र0 ~~8420~~...../पटना-15, दिनांक-11.7.17

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।